



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032021-225685
CG-DL-E-05032021-225685

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 952]
No. 952]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 2021/फाल्गुन 13, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 2021/PHALGUNA 13, 1942

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 3 मार्च, 2021

रेल अधिनियम 1989 की धारा (20 क) के अंतर्गत

का.आ. 1037(अ).—रेल अधिनियम 1989 की धारा 20क की उपधारा (1) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमिका, जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, खरसिया से धरमजयगढ़, घरघोड़ा से डोंगा महुआ की लाइन सहित (104 किमी.) के छत्तीसगढ़ राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन एवम उपयोग के सम्बन्ध पर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानि अतिरिक्त कलेक्टर, रायगढ़ को ज़िलाधीश कार्यालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किए जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधिब्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अन अनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक एवं अन्यव्योरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में नई लाइन- विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, खरसिया से धरमजयगढ़, घरघोड़ा से डोंगा महुआ की लाइन सहित (104 किमी) के लिए अधिग्रहण किये जाने के लिये संरचना के सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

खरसिया से कोरिछापर 0 से 45 किमी. पूरक -V (कैच वाटर ड्रेन व घरघोड़ा स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया के लिए भू अर्जन)

जिला का नाम: रायगढ़				जिला का नाम: रायगढ़					
तालुका: घरघोड़ा				तालुका: घरघोड़ा					
क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	बैहामुडा	48/3	0.090		कंचनपुर	610/6	0.018		
		54/2	0.340			610/12	0.057		
		55/2	0.030			610/3	0.008		
			Total 0.46						
जिला का नाम: रायगढ़					कंचनपुर	616/2	0.044		
						616/1	0.044		
तालुका: घरघोड़ा						615/1	0.040		
क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			615/2	0.042		
						619/2	0.008		
						693/38	0.020		

						693/18	0.060
						693/4	0.062
2.	कंचनपुर	305/1	0.044			617/1	0.013
		305/3	0.049			617/3	0.012
		298/2	0.007			686/1	0.094
		298/4	0.028			686/3	0.048
		298/5	0.007			604/1	0.027
		610/15	0.015			618	0.022
		301/1	0.013				Total 1.0305
		301/2	0.018			जिला का नाम: रायगढ़	
		301/3	0.017			तालुका: खरसिया	
		300/4	0.004	क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
		603/5	0.0125				
		603/16	0.031	1	2	3	4
		603/4	0.019	3	भालूनारा	55/1/ग	0.020
		603/3	0.008				Total 0.020
		603/7	0.004			जिला का नाम: रायगढ़	
		605/1	0.042	4		तालुका: धरमजयगढ़	
		607/2	0.056		बेहरामुडा	Khasra/plot	Area in hect
		608/1	0.0065			1/2/ग /1	0.049
		609/1	0.0305				Total 0.049

कुल योग :- 1.5595 हेक्टेयर

[फा. सं. सी.ए.ओ./सी/बी.एस.पी./ईस्ट रेलकॉरिडोर]
आर.एन.सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAY

(SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

Bilaspur,, the 3rd March, 2021

Notice under Section (20A) of the Railways Act 1989

S.O. 1037(E).—In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 20A of the Railways Act 1989(24 of 89)(hereinafter referred as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of Special Railway Project, namely, Kharsia to Dharamjaygarh with spur from Gharghoda to Donga Mahua (104 KM), in the State of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the Official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section 20D of the said Act;

Every objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Collector, Raigarh, Collectorate Office, Raigarh, Chhattisgarh in writing, and shall set out grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Kharsia to Dharamjaygarh with spur from Gharghoda to Donga Mahua (104 KM) in the State of Chhattisgarh.

Kharsia to Korichhapar 0 to 45 KM Supplementary –V (Land acquisition for catch water drain and circulating area Gharghorda)

Name of District : Raigarh				Name of District : Raigarh			
Tehsil : Gharghorda				Tehsil : Gharghorda			
Sr.No.	Village Name	Khasra/Plot No.	Area (In Hect.)	Sr.No.	Village Name	Khasra/Plot No.	Area (In Hect.)
1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Baihamuda	48/3	0.090		Kanchanpur	610/6	0.018
		54/2	0.340			610/12	0.057
		55/2	0.030			610/3	0.008
			Total 0.46				

Name of District : Raigarh						616/2		0.044	
						616/1		0.044	
Tehsil : Gharghorda						615/1		0.040	
Sr.No.	Village Name	Khasra/Plot No.	Area (In Hect.)			615/2		0.042	
						619/2		0.008	
						693/38		0.020	
						693/18		0.060	
						693/4		0.062	
						617/1		0.013	
						617/3		0.012	
						686/1		0.094	
						686/3		0.048	
						604/1		0.027	
						618		0.022	
								Total 1.0305	
				Name of District : Raigarh					
				Tehsil : Kharsia					
				Sr.No.	Village Name	Khasra/Plot No.	Area (In Hect.)		

		603/5	0. 0125						
		603/16	0.031						
		603/4	0.019						
		603/3	0.008						
		603/7	0.004						
		605/1	0.042						
		607/2	0.056						
		608/1	0.0065						
		609/1	0. 0305						
				1	2	3	4		
				3	Bhaloonara	55/1/Ga	0.020		
						Total 0.020			
				Name of District : Raigarh					
				Tehsil : Dhramjaygarh					
				4	Behramoda	Khasra/plot	Area in hect		
						1/2/Ga /1	0.049		
						Total 0.049			

Total :- 1.5595 Hect.

[F. No. CAO / C / BSP / East- Rail Corridor]

R.N. SUNKAR, Chief Administrative officer (Con.)